न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 11/2022(जी.सी.एम.एस.2022/305)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. गुरमीन कौर पत्नी गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।		1. जगरूप सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर, तहसील श्रीकरणपुर। 2. सुलखन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर, तहसील श्रीकरणपुर। 3. अमरजीत कौर पत्नी गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर, तहसील श्रीकरणपुर। 4. कलवन्त सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर, तहसील श्रीकरणपुर। 5. दर्शन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर, तहसील श्रीकरणपुर। 6. बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर, तहसील श्रीकरणपुर। 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर। 8. सतवीर सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर, तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–16.11.2022

उपस्थितः1.श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या
3.श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या

––निर्णय–– **दिनांक : 21.03.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 160/28 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1, 2, 12/1, 12/2, 19, 20, 21, 22 व 60/43 में 0.051 हैक्टेयर कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी को अपने मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 में आने-जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 के कोने में से होकर आना पडता है। मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 व मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 01 के मध्य सरकारी खाला मौका पर चालू है, जिसके उपर कई वर्षो से पक्की पुलिया बनी हुई है और इसी पुलिया व रास्ता का उपयोग करते हुए प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21 से 25 में स्वीकृत रास्ता से होते हुए, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 में प्रवेश कर, मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 में प्रवेश कर, कृषि भूमि काश्त करते है। मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21 से 25 में रास्ता स्वीकृत है। परन्तु मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 के कोने में 25 गुणा 25 यानि 0.0058 हैक्टेयर भूमि रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी असुविधाओं का सामना करना पडता है। उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना आत्यतिंक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण से मांग की है। तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 42/44 के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने में 25 गुणा 25 यानि 0.0058 हैक्टेयर भूमि मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 से चिपती हुए में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित आए। सतवीर सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर सतवीर सिंह को बतौर अप्रार्थी संख्या 8 के रूप में संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 6, 7 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर अप्रार्थीगण द्वारा कृषि यंत्रों की सार-संभाल एंव रख रखाव के लिए पक्के कोठे का निर्माण काफी अर्से पूर्व किया हुआ है। प्रार्थी कभी भी मुरब्बा नम्बर 21 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने से होकर अपनी भूमि काश्त नहीं करती रही है। प्रार्थिया के पास अपनी उक्त भूमि में आने-जाने के लिए कई विकल्प मौजूद है, जिनसे होकर प्रार्थिया अपने खेत में आ जा रही है। मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 5 प्रार्थी व उसके परिवार की भूमि है। प्रार्थिया मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 25 में से होकर, मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 5 में से होकर, मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 में प्रवेश करती रही है। प्रार्थिया ने किला नम्बर 5 के काश्तकार से दुर्भि संधि करके किला नम्बर 5 में जान बुझकर डिग्गी का निर्माण करवा दिया है। ताकि प्रार्थिया यह कहे सके कि मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 5 में डिग्गी होने के कारण वह किला नम्बर 5 में से होकर नहीं जा सकती है। इसके अलावा अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 में काफी अर्से पूर्व कमरे का निर्माण किया हुआ है, उक्त कमरा में हम अप्रार्थीगण कृषि औजार, कस्सी, स्प्रे मशीन, सब्बल, लोहे के औजार आदि रखते है। कमरा हम अप्रार्थीगण की निजी सम्पति पर निर्मित है, किसी भी कानून के तहत उक्त कोठे को ध्वस्त नहीं किया जा सकता और ना ही हम अप्रार्थीगण को उक्त कोठे के उपयोग एंव उपभोग से रोका जा सकता है। प्रार्थिया के पास रास्ते के कई विकल्प होने के कारण आवेदन पत्र किसी भी रूप में पोषणीय नहीं है, इसलिए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2023/1096 दिनांक 09.11.2023 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक 9 एफ ए मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक 9 एफ ए व पटवारी हलका रूपनगर द्वारा चक 3 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 36, 40, 41, 50, 56, 43 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने की 0.0058 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। इसके अलावा प्रार्थी चक 50 एफ के दक्षिण में नहर के साथ-साथ पक्की सडक है। जो अण्डरपास के जरिये भारतमाला सडक से मिलती है। वहां से रेलवे लाईन के साथ-साथ लाईन के पश्चिम दिशा में एंव सडक के उतर दिशा में रेलवे के रकबे में आवागमन हेतु रास्ता बना हुआ है। रेलवे लाईन के साथ स्थित मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 से 5 में से रास्ता देने पर वादी अपने खेत मुरब्बा नम्बर 40 तक पहुच सकता है। विकल्प संख्या 3 में उक्त सरकारी रास्ते से मुरब्बा नम्बर 40/ 47 एफ के किला नम्बर 25 में पहुच कर, मुरब्बा नम्बर 40/47 एफ के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 में से रास्ता दिये जाने पर वादी अपने खेत मुरब्बा नम्बर 40/3 एफ ए तक पहुच सकता है। उक्त विकल्प संख्या 2, 3 रेल्वे लाईन के साथ-साथ रेल्वे की भूमि में से होकर काम लिये जा रहे रास्ते का उपयोग करना पडेगा। प्रार्थना पत्र में चाहे गए न्युनतम एंव निकटतम विकल्प में दर्ज रकबा मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 के कॉर्नर पर कोठा निर्मित है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जाँच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू. अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 160/28 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1, 2, 12/1, 12/2, 19, 20, 21, 22 व 60/43 में 0.051 हैक्टेयर कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि की अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने से रास्ता व्यावहारिक है। प्रार्थी को रास्ता की आत्यतिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थिया की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 42/44 के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने में 0.0038 हैक्टेयर(25X16-1/2 वर्गफीट) भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21 की कुल 0.0038 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थिया से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थी को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्योराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्योराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान